न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

तारीख रजू :– 04.10.2017

मु0नं0 61/17

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव (R.A.S.)

1. धर्मसिंह
2. जवानसिंह
3. महाराजसिंह
4. बाबूलाल
5. लक्ष्मा बेवा रामधन

पिसरान् रामधन

जाति गुर्जर
निवासी राजाहेडा
तहसील नादौती जिला करौली।

..... सायलान्

बनाम

1. गंगासहाय पुत्र हरनारायण
2. सवाई सिंह पुत्र श्री गंगासहाय
3. सुरज्ञान पुत्र गंगासहाय
4. बहादुर पुत्र गंगासहाय
5. बिजेन्द्र
6. महेन्द्र
7. मोहरबाई बेवा करतार
8. किस्तूरी पत्नि सवाई सिंह

पिसरान् करतार

जाति गुर्जर
निवासी राजाहेडा
तहसील नादौती जिला करौली।

..... गैरसायलान्

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :–24.05.2018

प्रार्थना पत्र में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि खाता संख्या नया 55 व पुराना 143 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 133 रकवा 0.23 ऐयर, 348 रकवा 0.06 ऐयर, 352 रकवा 0.22 ऐयर, 430 रकवा 0.16 ऐयर, 435 रकवा 0.06 ऐयर, 440 रकवा 0.17 ऐयर, 441 रकवा 0.11 ऐयर, 442 रकवा 0.07 ऐयर, 443 रकवा 0.13 ऐयर, 472 रकवा 0.24 ऐयर, 506 रकवा 0.13 ऐयर, 776 रकवा 0.12 ऐयर, 847 रकवा 0.29 ऐयर, 849 रकवा 0.21 ऐयर, 872 रकवा 0.07 ऐयर कुल किता 15 कुल रकवा 2.27 हैक्टर वाके ग्राम राजाहेडा तहसील नादौती जिला करौली राज0 में है, जो कि सायलान के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात है। सायलान की उक्त आराजीयात से किसी अन्य का कोई वास्ता नहीं है।

सायलान की आराजी खसरा नम्बर 443 रकवा 0.13 ऐयर पर गैरसायलान की नजर टेकी हुयी है, और गैरसायलान सायलान की आराजी खसरा नम्बर 443 को जबरन सायलान से छीनने पर आमादा है। सायलान ने अपने उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 443 रकवा 0.13 ऐयर वाके ग्राम राजाहेडा में फसल बाजरा काश्त कर रखी है, जो कि मौके पर पकी हुयी खडी है। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है।

घटना दिनांक 20.09.2017 को समय सुबह करीब 8 बजे की है कि सायलान अपनी उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 443 रकवा 0.13 ऐयर में खडी फसल बाजरा की साल संभाल कर रहे थे कि इतने में गैरसायलान हाथो में लाठी डण्डा, धारिया , फरसा, तलवार आदि ले लेकर मौके पर आ गये और आते ही सायलान से कहा कि अब तुम लोग इस आराजी को भूल जाओ, अब हम इन पर कब्जा करेगें। इस पर सायलान ने कहा कि भाईयों यह आराजी हमारी खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है, आप लोग हमको क्यों परेशान कर रहे हो, हम गरीब आदमी है, आपका इन आराजीयात से क्या लेना देना है। लेकिन गैरसायलान अपनी हठधर्मी पर आमादा रहे, तथा सायलान को जबरन बेदखल करने पर आमादा हो रहे है, सायलान ने गैरसायलान को काफी समझाया तथा गणमान्य व्यक्तियों से भी समझवाया, लेकिन गैरसायलान अपनी हठधर्मी पर आमादा रहे है, यदि गैरसायलान अपनी उक्त बेजा हरकतो में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति

हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी संभव नहीं हो सकेगी। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार से पाबन्द किया जावे कि दौराने दावा गैरसायलान सायलान को आराजी खसरा नम्बर 443 रकवा 0.13 ऐयर वाके ग्राम राजाहेडा तहसील नादौती को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवें। जबरन सायलान को बेदखल ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। सायलान के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें। तथा गैरसायलान ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावें। जिससे हकूक सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचती हो।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को वास्ते पेश करने जबाव नोटिस जारी किया गया। नोटिस वाद तामील शामिल मिसल किये गये।

पत्रावली लोक अदालत/न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र राजाहेडा में पेश हुई, जिसमें सायलान व गैरसायलान को सुना गया। जिसमें सायलान ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि गैरसायलान आराजी खसरा नम्बर 443 रकवा 0.13 ऐयर वाके ग्राम राजाहेडा तहसील नादौती को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवें। बेदखल ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें। तथा ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावें।

गैरसायलान् ने अपने पक्ष में कोई जबाव/दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये। अतः गैरसायलान का जबाव बन्द किया जाता है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं उभय पक्षकारान् को सुना गया। एवं सुसंगत विधि को भी देखा जाकर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्राईमा फेसी केश, सुविधा का संतुलन व अपूर्तिनीय क्षति तीनो ही बिन्दू सायलान के पक्ष में होना प्रतीत होते है। अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट सायलान विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे सायलान के कब्जेकाश्त उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार

की दखलन्दाजी न तो स्वयं उत्पन्न करे और न हीं किसी अन्य से करावें। उक्त आराजी पर सायलान को शांति पूर्वक काश्त करने देवें। पत्रावली फैसल शुमार मानी जाकर वाद तकमील नम्बर से कम होकर शामिल वाद रहें।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को लोक अदालत/न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट कैम्प अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत राजाहेडा में सुनाया गया।

महेन्द्र सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नादौती जिला करौली